POLICY DIRECTIVES ON INCENTIVES TO UNITS GENERATING POWER FROM NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES IN CHHATTISGARH

1. Every unit, organisation or private agency desirous of installing power generating unit based on non-conventional resources (like Mini/ Micro, Hydel Projects, Wind Energy, Bio Energy, Solar Energy etc.) in Chhattisgarh shall be eligible for incentives.

2. These parties may set-up units either themselves or as a joint venture with Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency, (CREDA).

3. There will be no restrictions on generation capacity. The parties may use the power generated themselves at the point of generation or at any other place or sell it to a third party after obtaining permission from govt. of Chhattisgarh. However the third party must be a HT consumer of Chhattisgarh State Electricity Board (CSEB). CSEB may also purchase the power generated by these units as per circumstances and it's requirement.

4. Wheeling through CSEB's transmission/distribution system will be allowed on payment of wheeling charges to CSEB at rates fixed by CSEB from time to time. State Government will not compensate CSEB towards line losses etc. for the power wheeled. The wheeling charges will be irrespective of the distance to which the power is wheeled.

5. If power generated through non-conventional energy sources is purchased by CSEB then the rate of purchase will be Rs.2.25 per unit. For sale of power to a third party, the rates will have to be settled mutually between the generating party and the third party which would purchase the power.

6. Electricity generated from non-conventional energy sources sold to third party or consumed by the party itself will be exempted from payment of electricity duty for five years if capacity of power plant is below 10 MW. Period of this exemption will be three years if capacity of the power plant is 10 MW or above.

7. Meters and equipments required for the sale of power will be installed by the party at it's cost and at the points decided by CSEB. These meters and components will have to be duly approved and tested by CSEB.

8. The transmission/distribution lines and transformers required for transmitting power from a non-conventional energy generating unit to the nearest grid sub-station of CSEB and also equipments required for synchronizing, protection etc. will be installed by the party themselves as per specifications of CSEB, or these can be installed by CSEB at the cost of the party. These lines/equipments will be maintained by CSEB, but the party will be required to pay operation and maintenance charges as fixed by CSEB, from time to time.

9. If the power producer takes reactive power from CSEB, they will be required to pay reactive power charges to CSEB.

(B)

10 If power producer requires start up power for operation and maintenance of the power plant, he will have to pay double the charges of CSEB for 33 KV-two part tariff.

11. Govt. land, if available, will be leased out to the party, keeping in view their minimum requirement, by Industries Department Govt. of Chhattisgarh, as per their norms. In case of non availability of govt. Land, private land will be acquired by the govt. and made available to the party at acquisition cost. No service charges will be payable for use of the land. Permission will not be required for diversion of the land. Party will have to submit information regarding use of land to the concerned District Collector.

12. New power generating units based on non-conventional energy sources will be treated like new industry and they will be entitled to all the concessions given to new industrial units.

13. Parties desirous of setting up non conventional power generating system will be required to give their application to Chief Executive Officer (CEO), Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA) with a copy to Secretary, CSEB for permission. After approval by CEO, CREDA, the generating unit and also the user unit will be required to enter into agreements with CSEB.

Energy department has declared above policy directives vide Notification No. 38 dated April 8, 2002

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग,
दाउ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

रायपुर दिनांक 2.12.2002

अधिसूचना

क्रमांक /4524/अपरम्प ऊर्जा/ ऊर्जा विभाग /, चूकिं राज्य सरकार की यह राय है कि अधिसूचना क्रमांक 38/अ.पा./ऊ.वि./2002 दिनांक 8 अप्रेल 2002 द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को प्रोत्साहन हेतु विभिन्न सुविधाएं देने के लिये जारी किये गये दिशा निर्देशों को लोकहित में संशोधन करना आवश्यक तथा समीचीन है,

(2) अतएव, जारी किये दिशा निर्देश की कंडिका 6 के प्रारंभ में एवं 'अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों .....' के पूर्व में ''वर्तमान में पूर्व से स्थापित अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को छोड़कर '' स्थापित किया जाये।

(3) यह अधिसूचना जारी किये गये दिशा निर्देश दिनांक 8 अप्रेल 2002 से प्रवृत होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर

(अजय सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग

छत्तीसगढ़ में अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को प्रोत्साहन हेतु विभिन्न सुविधाएं देने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2637/स./उ.वि./2001 दिनांक 31 अक्टूबर 2001 द्वारा घोषित ऊर्जा नीति की अपेक्षा अनुसार अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के संबंध में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार विस्तृत दिशा निर्देश जारी करता है:-

1. कोई भी उद्योग, संस्था एवं निजी एजेंसी जो कि अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र (लघु / लघुत्तम जल विद्युत, सोलर, वायु, बायो एनर्जी आदि) छत्तीसगढ़ में स्थापित करना चाहता है तो वे इसके लिए प्रोत्साहन के पात्र होंगे।

2. ऐसी पार्टियाँ स्वयं या छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) की भागीदारी से अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों की इकाईयों की स्थापना कर सकती है।

3. विद्युत उत्पादन की क्षमता पर कोई सीमा लागू नहीं होगी । ऐसी पार्टियाँ अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत को उसी जगह या किसी अन्य स्थान पर स्वयं उपयोग कर सकती है या किसी तीसरी पार्टी को शासन की अनुमति से विक्रय कर सकती है, परन्तु तीसरी पार्टी का छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का उच्च दाब उपभोक्ता होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल भी परिस्थिति अनुसार विद्युत का क्रय कर सकता है।

4. विद्युत उत्पादन के स्थान से किसी अन्य स्थान तक स्वयं के उपयोग या किसी तीसरी पार्टी के उपयोग के लिए अगर व्हीलिंग की आवश्यकता होगी तो इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की पारेषण / वितरण प्रणाली के उपयोग के

लिये भी पार्टियों को अनुमति दी जायेगी, तथा उत्पादक द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को लाइन द्वारा व्हीलिंग आदि के एवज में कोई क्षतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा नहीं दी जायेगी। उपरोक्त व्हीलिंग चार्ज के लिए दूरी की कोई शर्त नहीं होगी।

5. अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा क्रय किये जाने पर क्रय की दर रू. 2.25 प्रति यूनिट होगी। किसी तीसरी पार्टी को विद्युत के विक्रय के लिए दरें विद्युत उत्पादक पार्टी एवं तीसरी पार्टी के बीच आपसी सहमति से तय की जायेगी।

6. अपारम्पकि ऊर्जा स्त्रोतों से जो विद्युत उत्पादन पार्टी द्वारा स्वयं उपयोग किया जायेगा या कि किसी तीसरी पार्टी को विक्रय किया जायेगा तब 10 मेगावाट से कम क्षमता के यूनिट्स की दशा में प्रथम पांच वर्ष विद्युत शुल्क नहीं लिया जायेगा, तथा 10 मेगावाट व उससे अधिक की क्षमता होने पर तीन वर्ष के लिए विद्युत शुल्क नहीं लिया जायेगा।

7. विद्युत उत्पादन के विक्रय हेतु जो मीटरिंग उपकरण आदि की आवश्यकता होगी पार्टी द्वारा स्वयं के खर्च पर विद्युत मंडल द्वारा लगाये गये स्थान पर लगाये जायेंगे। ऐसे मीटर्स आदि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की अनुमति से एवं टेस्ट करवा कर लगवाये जायेंगे।

8. अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को उत्पादन के स्थान से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के निकटतम ग्रिड स्टेशन से जोड़ने के लिये जो पारेषण / वितरण लाइनों एवं ट्रांसफारमरों की आवश्यकता होगी एवं इसके साथ सिंकोनाइजेशन / प्रोटेक्शन आदि के लिए संयंत्र लगाना पड़ेगा वे स्वयं के व्यय से या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से खर्च का भुगतान करके लगवाया जा सकता है। इन लाइनों / उपकरणों का रखरखाव छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किया जायेगा जिसके लिये पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को मंडल द्वारा निर्धारित चार्ज देय होंगे।

9. उत्पादक यदि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ग्रिड से रियेक्टिव ऊर्जा प्राप्त करता है तो उसे रियेक्टिव ऊर्जा प्रभार देना होगा।

10. उत्पादक यदि मंडल के ग्रिड स स्टार्टअप पावर संयंत्र की मरम्मत /अनुरक्षण आदि के लिए प्राप्त करता है तो मंडल में लागू 33 के.व्ही. टू पार्ट टेरिफ की दुगुनी दर पर चार्ज देय होगा।

11. अगर शासकीय भूमि उपलब्ध होगी, तो यह पार्टी को उसकी न्यूनतम आवश्यकता को देखते हुये छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग द्वारा उनके द्वारा निर्धारित शर्तों पर दी जायेगी। यदि शासकीय भूमि उपलब्ध न हो तो शासन निजी भूमि अधिग्रहित कर अधिग्रहण मूल्य पर पार्टी को उपलब्ध करायेगा। इस हेतु सर्विस चार्ज देय नहीं होंगे। भूमि के उपयोग के लिए परिवर्तन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। केवल भूमि के उपयोग की जानकारी संबंधित जिलों के जिलाध्यक्षों को दी जानी होगी।

12. अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन इकाई को उद्योग का दर्ज़ा प्राप्त होगा एवं उसको वह सभी छूट मिलेगी जो किसी नई औद्योगिक इकाई को मिलती है।

13. ऐसी पार्टियाँ जो अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाना चाहती हैं को अपना आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) को अनुमति प्राप्त करने हेतु देना होगा, जिसकी प्रति सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को भी पृष्ठांकित की जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) की स्वीकृति के पश्चात् उत्पादक इकाई एवं उपभोक्ता इकाई को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के साथ आवश्यक अनुबंध निष्पादित करना होगा।

उपरोक्त दिशा निर्देश ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक 38, दिनांक 8 अप्रेल 2002 द्वारा जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग,
दाउ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 33 /स./ऊ.वि./02.03 रायपुर दिनांक 04 फरवरी 2003

अधिसूचना

विषय : राज्य शासन की अपारंपरिक ऊर्जा नीति में संशोधन।

राज्य शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 38, दिनांक 08.04.02 द्वारा राज्य के अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं। राज्य शासन एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

1. यदि उत्पादक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित बिजली बेचना चाहता है तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, रुपये 2.25 प्रति यूनिट की दर से अनिवार्यतः क्रय करेगा।

2. स्टार्ट अप पॉवर के रूप में खपत की गई विद्युत पर मण्डल द्वारा निर्धारित प्रचलित दर (सामान्य दर) पर विक्रय किया जायेगा एवं उत्पादक ईकाई के लिये निर्धारित कॉन्ट्रेक्ट डिमांड शुल्क न्यूनतम 50 प्रतिशत कॉन्ट्रेक्ट डिमांड पर देय होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर

(अजय सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग